

कार्यालय जिला एवं सत्र न्यायाधीश : दिल्ली शिक्षण शुल्क (ट्यूशन फीस) की प्रतिपूर्ति (री-इम्बर्समेंट) के दावे का आवेदन पत्र

1. पिछली बार शिक्षण शुल्क की प्रतिपूर्ति के दावे की तारीख :/...../.....
2. वह दावा किस अवधि के लिए किया गया था : से तक
3. वर्तमान में किस अवधि के लिए शिक्षण शुल्क : से तक
की प्रतिपूर्ति का दावा किया गया है

क्रम संख्या	बच्चे का नाम व जन्म की तारीख	किस विद्यालय में पढ़ रहा है तथा वह किस स्थान पर है (क्या वह सरकारी/सरकारी सहायता प्राप्त है)	किस कक्षा में पढ़ रहा है	वास्तव में देय मासिक शिक्षण शुल्क (ट्यूशन फीस)	सरकारी छात्रवृत्ति की राशि	छात्रवृत्ति के तौर पर वसूली गई राशि (यदि वसूली गई है तो)	दावा की गई प्रतिपूर्ति की राशि
1							
2							

- प्रमाणित किया जाता है कि मेरा/मेरे उपरोक्त नामित बच्चा/बच्चे जिसके संदर्भ में शिक्षण शुल्क की प्रतिपूर्ति का दावा किया गया है, वह/वे कॉलेज संख्या-3 में उल्लिखित विद्यालय में पढ़ रहा/रहे है, जो कि एक मान्यता प्राप्त विद्यालय है तथा उसके नाम के सामने जो शिक्षण शुल्क दर्शाया गया है वह मेरे द्वारा वास्तव में चुकाया गया है।
- प्रमाणित किया जाता है कि मेरी पत्नी/मेरा पति सरकारी कर्मचारी है/नहीं है तथा वह शिक्षण शुल्क की प्रतिपूर्ति का दावा नहीं करेगी/करेगा।
- मेरी पत्नी/मेरा पति कार्यालय में सेवारत है। वह हमारे बच्चे/बच्चों के शिक्षण शुल्क की प्रतिपूर्ति का दावा करने का हकदार है।
- प्रमाणित किया जाता है कि इस दावे की अवधि के दौरान उपरोक्त नामित बच्चा/बच्चे नियमित रूप से विद्यालय गया/गए हैं तथा विद्यालय से समुचित छुट्टी लिए बिना एक माह से अधिक अनुपस्थित नहीं रहा है/रहे हैं।
- प्रमाणित किया जाता है कि उल्लिखित बच्चा/बच्चे एक ही कक्षा में 2 वर्ष से अधिक अवधि से नहीं पढ़ रहे हैं।
- प्रमाणित किया जाता है कि मैंने और मेरी पत्नी/मेरे पति ने अपने उपरोक्त उल्लिखित बच्चों के लिए संतान शिक्षा भत्ते का दावा न तो किया है और न ही करेंगे।
- जो लागू न हो उसे काट दें। केन्द्रीय सरकार के अलावा अन्य नियोक्ता/रोजगार देने वाले कार्यालय का उल्लेख किया जाए।

दिनांक :

.....
सरकारी कर्मचारी के हस्ताक्षर
कर्मचारी कूट संख्या

.....
पद व कार्यालय का नाम

विद्यालय/महाविद्यालय का नाम व संस्थान का पता

प्रमाणित किया जाता है कि कुमार/कुमारी सुपुत्र/सुपुत्री
श्री/श्रीमती..... माह/वर्ष..... से कक्षा का/की
छात्र/छात्रा है। वह रूपए प्रतिमाह की छात्रवृत्ति प्राप्त करता/करती है / नहीं करता/करती है।
उसने से तक की अवधि के लिए निम्नलिखित विवरण के
अनुसार रूपए का मासिक शिक्षण शुल्क (ट्यूशन फीस) अदा किया है:-

1. शिक्षण शुल्क	@रु. प्रतिमाह
2. विज्ञान शुल्क	@रु. प्रतिमाह
3. संगीत शुल्क	@रु. प्रतिमाह
4.	@रु. प्रतिमाह
5.	@रु. प्रतिमाह
6.	@रु. प्रतिमाह
कुल	@ रु. प्रतिमाह

यह भी प्रमाणित किया जाता है कि
विद्यालय/महा विद्यालय राज्य के
शैक्षिक प्राधिकरणों द्वारा मान्यता प्राप्त है। (नगर निगम समिति के अंतर्गत आने वाले सरकारी विद्यालयों के लिए
लागू नहीं है)।

उपरोक्त नामित छात्र/छात्रा किस तरीख से ऊपर दर्शायी गई कक्षा में लगातार पढ़ रहा/रही है।

प्रधानाचार्य/मुख्याध्यापक/मुख्याध्यापिका
के हस्ताक्षर (मोहर सहित)

कृप्या ध्यान दें ☺ : जो लागू नहीं होता है उसे काट दें।